>**12.09 hrs.**

RE : CALLING ATTENTION TO THE MATTER

OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Atrocities on Dalits in various parts of the country

Title: Regarding calling attention of the Home Minister towards atrocities committed against dalits in various parts of the country.

MR. SPEAKER: Now, we go to the Calling Attention notice, item No. 10 - Shri Rattan Lal Kataria, Shri Ram Vilas Paswan and Shri Ram Chandra Paswan.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आप कॉलिंग अटैंशन पढ़ लें। उसमें लिखा है कि "देश के िवभिन्न भागों में विशेाकर पंजाब में तेल्हन गांव, हरियाणा में झज्जर तथा बिहार में गया में दलितों पर किए जा रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उप-प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्ति करेंगे।" अध्यक्ष महोदय, उपप्रधान मंत्री यहां नहीं है। Where is Up-Pradhan Mantri? यदि इतने गम्भीर सवाल को इतने हल्के ढंग से लिया जाएगा तो इससे बढ़िया है कि आप कॉलिंग अटैंशन खत्म कर दीजिए। क्या यहां भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होगा। या तो आप पहले उप-प्रधान मंत्री जी को बुलाइए या इसे पोस्टपौन कीजिए।

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, while sharing the view-point of Shri Ram Vilas Paswan, I would like to make one submission. This is an issue in which Members of all parties would be intensely interested and the Congress Party Members are even more intensely interested. I, therefore, make a suggestion for your consideration that this may be considered under Rule 193 so that the Deputy-Prime Minister can answer and Members of all parties can participate.

MR. SPEAKER: I have no problem in converting it provided the whole House agrees to that.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, we all agree...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर सवाल है। पूरे हिन्दुस्तान में आए दिन दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस सवाल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। पासवान जी के कॉलिंग अटैंशन पर उप-प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। इसका सीधा मतलब है कि दलितों के सवाल पर यह सरकार गम्भीर नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री दोनों को यहां उपस्थित होना चाहिए था। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का क्या हुआ? â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let me know what the Government has to say. I want to listen to the Government first. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे संसदीय कार्य मंत्री के नाते कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना याद दिलाना चाहती हूं कि हमने पिछले सत्र में दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर एक फुल-फ्लैज्ड चर्चा की थी जो आधी रात तक चली थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले मंत्री जी का उत्तर आने दिया जाए। मुझे पहले मंत्री जी की पूरी बात सुननी पड़ेगी और इसके बाद ही आप बोल सकते हैं।

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am not accepting your point of order, still the Minister can say what she wants to say.

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बंसल जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराजः जो जयपाल रेड्डी जी ने सुझाव दिया है, उसे मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना कह रही हूं कि चूंकि यह मैटर स्पैसिफिक है और कॉलिंग अटैंशन कटारिया जी की तरफ से दिया गया है, विपक्ष चाहता है कि इस पर अलग से 193 के अन्तर्गत चर्चा हो। सरकार को चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हम फुल-फ्लैज्ड डिसकशन करवा सकते हैं लेकिन स्पैसिफिक घटना पर ध्यानार्काण प्रस्ताव दिया जाता है वह टोटल चर्चा के दौरान डायल्यूट हो जाता है। पिछली बार चूंकि हम आधी रात तक इस पर चर्चा करने के लिए बैठे थे, इसके बावजूद यदि सदन चाहता है तो सरकार को चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मैं उससे सौ फीसदी सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है। â€¦ (व्यवधान) अध्यक्ष

महोदय, आपको याद होगा कि आपने कहा कि आप इस मैटर को बीएसी में रखेंगे। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिला था। मैंने आपसे यही कहा था कि बीएसी में एक जनरल बात हो जाती है। जो सरकार को सूट करता है, वह उस बात को कहती है और जो सरकार को सूट नहीं करता, वह उसे नहीं कहती। हम इस पर इनसिसट भी नहीं कर सकते। आपने मामले की गम्भीरता को देखते हुए कॉलिंग अटैंशन ऐक्सेप्ट किया। मेरा चार्ज इतना ही है कि यह एक गम्भीर मामला है जो होम मिनिस्टर के अन्तर्गत है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम से लिखा है

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहां कौन बन सकता है - यहां कोई नहीं है - न गृह मंत्री का नाम लिखा हुआ है, केवल उप प्रधान मंत्री लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह चर्चा के समय रहेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला आपके अधीन है क्योंकि बी.ए.सी. में मामला आपके दायरे से बाहर चला जाता है और उसमें मामला लिंगर ऑन हो जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था जब सत्र का अंतिम दिन था, तब चर्चा कराई गई थी। इसलिये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इस मामले को नियम 193 के अंतर्गत करना है तो जो सजेशन दिया गया है, आप उसे सोमवार को रख लीजिये। यह हाउस में तय हो जाना चाहिये, न कि बी.ए.सी. में क्योंकि मुद्दा पीछे चला जाता हैâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये, श्री कटारिया जी का नोटिस है, मैं उनको इजाजत दूंगा, अखिलेश जी, आप बैठिये, आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, Shri Rattan Lal Kataria. Only what Shri Rattan Lal Kataria says will go on record.

(*Interruptions*) â€¦*

MR. SPEAKER: Shri Shivraj V. Patil, I will allow you to speak after Shri Rattan Lal Kataria.

* Not Recorded

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विाय को नियम 193 के अंतर्गत रखने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि जब यह विष ाय कार्य सूची में आ गया है तो इस पर अभी चर्चा शुरु की जाये।

अध्यक्ष महोदय : दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं एक एक करके ही सब को सुन सकता हूं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुामा स्वराज ने आपके सामने बात रखी लेकिन मेरा कहना है कि बी.ए.सी. में नियम 193 के अंतर्गत लिये गये विाये आये और उन्हें प्रायरिटी दी गई जिन्हें अपोज़ीशन पार्टी ने कहा। उसे सब ने स्वीकार किया और हमने भी स्वीकार किया। उनसे कहा गया कि प्रायरिटी तय करिये और जिस विाय पर प्रायरिटी तय की गई, उसे लिया गया। सब से पहले ताज हरिटेज कॉरिडोर को लिया गया। अगर इस विाय को लेना है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप तैयार हैं या नहीं, यह बतलाइये, डिटेल्ज में जाने की जरूरत नहीं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, डिटेल्ज में जाने की जरूरत है क्योंकि इस विाय को इन्होंने बी.ए.सी. में रखा ही नहींâ€¦ (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में दलितों पर भीाण अत्याचार हो रहे हैं। आज ही समाचार-पत्रों में छपा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के एक गांवे में दलित महिला के साथâ€¦ (व्यवधान) मेरा कहना है कि पिछले सैशन में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के बाद ऐसी घटनायें हुई हैं जिनमें पंजाब में तेल्हन की घटना है जहां मुख्यमंत्री ने अत्याचार करने वालों को बचाने की कोशिश की हैâ€¦ (व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस विाय पर खुली बहस हो और बी.ए.सी. इसे तय कर ले।

श्री शिवराज वि.पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, दलितों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सदन में हमारे सदस्य बहुत ही संवेदनशील हैं और उस विाय पर चर्चा करना चाहते हैं। श्री जयपाल रेड्डी ने जो सुझाव दिया, वह अच्छा है और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा ली जा सकती है। सदन इस बात के लिये फैसला कर ले कि इस पर अगले हफ्ते चर्चा ली जाये। और बी.ए.सी. उसे कभी पीछे नहीं करेगी, अगर यह यहां तय हो जाता है। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि हमारे सदस्य इस विाय पर चर्चा चाहते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब सदन में इस विाय पर चर्चा हुई थी तो देर रात तक हुई। मामले में गतिरोध तब पैदा होता है, जब सरकार किसी सवाल पर सार्थक प्रतिकिया व्यक्त नहीं करती है। आज देश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं।

उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती के जिले में दलितों पर अत्याचार हुए हैंâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस विाय की मैरिट पर अभी क्यों जा रहे हैं, यह अभी बताने की जरूरत नहीं है, जब चर्चा होगी तब बतायें।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा मोशन है, बिहार सहित कांग्रेस शासित सभी राज्यों में दलितों पर अत्याचारों की आंधी आ गई है।â€¦ (व्य वधान)

MR. SPEAKER: So, the House agrees that this subject should be given priority in the Business Advisory Committee and as far as possible, this should be discussed in the next week. I totally agree with it.

Now, I go to the next item. The next item is an important item.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं रूलिंग देता हूं तो लोग सुनना नहीं चाहते, इसमें मैं क्या करूं। जब मैं बोल रहा हूं तब भी यहां बातें चलती हैं, यह भी कोई बात है, प्लीज आप बैठिये। मैंने इस विाय पर रूलिंग दे दी है। कई मैम्बर्स यहां ऐसा सोचते हैं कि वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कहते रहें, ऐसा सदन में नहीं हो सकता।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am coming to that. I am giving the ruling once again for the information of the House. If the Members keep silence in the House, they can listen to it. My ruling is quite clear that this issue has to be taken, as far as possible, in the next week and the Business Advisory Committee must give top priority to this subject. This is the ruling.

श्री राम विलास पासवान : एक निन्दा का प्रस्ताव उप-प्रधान मंत्री के खिलाफ में लेंâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब विाय आयेगा तब देखेंगे।

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : He has not given his statement. Why is he not here in the House?

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय मैं उनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि वह खुद हाजिर रहें।